

कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक: 1825 / Others/25541/ 2017 अलीगढ़:दिनांक,नवम्बर 28, 2017

सेवामें,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विशय:-

एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के अन्तर्गत पलवल-टप्पल-अलीगढ़ (एस0एच0-22ए) किमी0 74 (चैनेज 73.800) दांयीं पटरी खसरा सं0 141ए, ग्राम-ल्हौसरा बिसावन, तहसील-कोल, जनपद- अलीगढ़ में नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण के लिए प्रेशित प्रस्ताव में प्रभावित होने वाली 0.075028 हे0 संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 10 वृक्षों के पातन की अनुमति।

संदर्भ-

आपका पत्रांक 943/अलीगढ़/25541/2017 दिनांक 03.10.2017

महोदय,

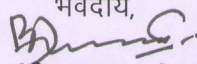
उपरोक्त विषयक प्रस्ताव में संदर्भित पत्र द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर आख्या प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ ने अपने पत्र संख्या 1659/Others/25541/2017 दिनांक 23.11.2017 से उपलब्ध करायी गयी है। अतः प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के आधार पर निम्नप्रकार आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव 03 प्रतियों में प्रेषित किया जा रहा है।

S.No.	Observation	REPLY
1	ऑनलाइन पार्ट-2 के Additional Information Detail पर प्रस्तावित वनभूमि की गणना, गैर वनभूमि की गणना, क्षतिपूरक वनीकरण पर आने वाले व्यय को जमा करने हेतु प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित वचनवद्धता, प्रस्तावित वनभूमि की एन0पी0वी0 जमा करने हेतु प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित वचनवद्धता, चिन्हित वन स्वरूप भूमि सम्बन्धी प्रभागीय निदेशक का प्रमाण-पत्र, सुयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट, प्रभागीय निदेशक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट एवं परियोजना से 10 किमी0 की परिधि में कोई वन्यजीव विहार/संचुरी की उपलब्धता से सम्बन्धित प्रभागीय निदेशक का प्रमाण पत्र आदि अभिलेख अपलोड नहीं है। अपलोड करें।	ऑनलाइन पार्ट-2 के Additional Information Detail पर प्रस्तावित वनभूमि की गणना, गैर वनभूमि की गणना, क्षतिपूरक वनीकरण पर आने वाले व्यय को जमा करने हेतु प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित वचनवद्धता, प्रस्तावित वनभूमि की एन0पी0वी0 जमा करने हेतु प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित वचनवद्धता, चिन्हित वन स्वरूप भूमि सम्बन्धी प्रभागीय निदेशक एवं परियोजना से 10 किमी0 की परिधि में कोई वन्यजीव विहार/संचुरी की उपलब्धता से सम्बन्धित प्रभागीय निदेशक का प्रमाण पत्र आदि अभिलेख ऑनलाइन अपलोड कर दिये गये हैं।
2	प्रस्तावित वन भूमि की एन0पी0वी0 जमा करने हेतु संलग्न कर बचनवद्धता में अंकित क्षेत्रफल 0.075028 हे0 के स्थान पर 0.053768 हे0 अंकित किया गया है, जो त्रुटिपूर्ण है। संशोधित करें एवं संशोधित बचनवद्धता ऑनलाइन भी अपलोड करें।	प्रस्तावित वन भूमि की एन0पी0वी0 जमा करने हेतु संलग्न कर बचनवद्धता में अंकित क्षेत्रफल 0.075028 हे0 अंकित कर प्रेषित है एवं ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है।
3	चिन्हित वन स्वरूप भूमि सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्रयोक्ता एजेंसी की ओर से नहीं बल्कि प्रभागीय निदेशक की ओर से संलग्न किया जाने वाला अभिलेख है। उक्त प्रमाण-पत्र में अंकित क्षेत्रफल 0.075028 हे0 के स्थान पर 0.037818 हे0 अंकित किया गया है, जो त्रुटिपूर्ण है। संशोधित करें एवं संशोधित प्रमाण-पत्र ऑनलाइन भी अपलोड करें।	चिन्हित वन स्वरूप भूमि सम्बन्धी प्रमाण-पत्र, प्रभागीय निदेशक की ओर से संलग्न कर प्रेषित है एवं संशोधित प्रमाण-पत्र ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है।

प्रस्ताव की तीन प्रतियां प्रेषित की
28/11/17

4	लोक निर्माण विभाग के अनापत्ति एवं अनुमोदित लेआउट प्लान के प्रथम पैरा में प्रस्तावित स्थल किमी0 74 के चैनैज 73.800 की दांयी पटरी पर अंकित किया गया है। किन्तु ऑनलाइन पार्ट-1 के बिन्दु-ए-1(2 व 3) में किमी0 73 के चैनैज 72.800 की दायी पटरी पर अंकित किया गया है। इस विसंगति को स्पष्ट करते हुए संशोधित करें।	लोक निर्माण विभाग के अनापत्ति एवं अनुमोदित ले-आउट प्लान के प्रथम पैरा में प्रस्तावित स्थल किमी0 74 के चैनैज 73.800 के अनुसार प्रमाण पत्र संशोधित कर प्रेषित हैं एवं ऑनलाइन पार्ट-1 के बिन्दु-ए-1(2 व 3) में किमी0 74 के चैनैज 73.800 की दांयी पटरी अंकित कर दिया गया है।
5	आनलाइन पार्ट-1 के बिन्दु-ए(3) पर श्री गुलशन सेठी, डिवीजनल मैनेजर को सक्षम प्राधिकारी नामित किया गया है, किन्तु प्रस्ताव के साथ श्री गुलशन सेठी के साथ श्री अतुल कुमार की भी पावर ऑफ अटोर्नी संलग्न की गई है तथा कतिपय अभिलेखों पर प्रयोक्ता ऐजेंसी की ओर से अलग-अलग अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर अंकित किये गये हैं। इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करते हुए प्रयोक्ता ऐजेंसी की ओर से एक प्रमाण-पत्र संलग्न कराने का कष्ट करें तथा प्रयोक्ता ऐजेंसी की ओर से हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर के साथ उसके नाम व पदनाम सहित सील अंकित कराने का कष्ट करें।	आनलाइन पार्ट-1 के बिन्दु-ए(3) पर श्री गुलशन सेठी, डिवीजनल मैनेजर को सक्षम प्राधिकारी नामित किया गया है, किन्तु प्रस्ताव के साथ श्री गुलशन सेठी के साथ श्री अतुल कुमार की भी पावर ऑफ अटोर्नी संलग्न की गई है। इस सम्बन्ध में वांछित प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न कर प्रेषित है। प्रयोक्ता ऐजेंसी की ओर से हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर के साथ उसके नाम व पदनाम सहित सील अंकित कराने का कष्ट करें।
6	प्रस्ताव के साथ संलग्न ऑफ लाइन पार्ट-1 को प्रस्ताव से पृथक कर दें इसकी आवश्यकता नहीं है।	प्रस्ताव के साथ संलग्न ऑफ लाइन पार्ट-1 को प्रस्ताव से पृथक कर दिया गया है।
7	उपरोक्त सूचनाओं को पूर्ण कर पैसिल के स्थान पर पेन से पृष्ठ संख्या अंकित करें एवं तदनुसार विषय सूची को अपडेट करने का कष्ट करें।	उपरोक्त सूचनाओं को पूर्ण कर पैसिल के स्थान पर पेन से पृष्ठ संख्या अंकित कर दिया गया है।

संलग्नक— उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(बी0 प्रभाकर)
वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक 1825/14-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

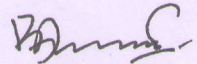
1. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।
2. प्रभागीय प्रबन्धक, एस्सार ऑयल लि0, 2314, तीसरी मंजिल, टावर ए, द कोरेन्थम, ए-41, सेक्टर 62, नोएडा-201309 (उ0प्र0)।


(बी0 प्रभाकर)
वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

भाग-3
(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14.	स्थल, जहाँ की वन भूमि शामिल की गई। क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के अन्तर्गत पलवल-टप्पल-अलीगढ़ (एस0एच0-22ए) किमी0 74 (चैनेज 73.800) दांयी पटरी खसरा सं0- 141ए, ग्राम ल्हौसरा बिसावन, तहसील-कोल, जनपद- अलीगढ़ में नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण के लिए प्रेषित प्रस्ताव में प्रभावित होने वाली 0.075028 हे0 संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 10 वृक्षों के पातन की अनुमति। नहीं
15.	क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	हाँ
16.	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	प्रस्ताव जनहित में है। अतः स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है।

तिथि:- 20.09.2017
स्थान:- अलीगढ़।


(बो0 प्रभाकर)
 वन संरक्षक,
 अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।
